| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व त<br>जो इस हुक<br>में ज |
|---|---|---|
| 20.8.24 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नहीं लिखा जा सका है। प्रकरण बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से प्रकरण मे उभय पक्ष की पुनः मजिद बहस सुनी गई। वाद वादी का अ.धा. 88 R.T.A का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी [illegible]

केस नम्बर :- [illegible]

रतनलाल पिता लखमा जाति भील निवासी बाघपुरा तह0 बेगूं
वादी

बनाम

1- श्री राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय जी चित्तौड़गढ़
2- श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूं जिला चित्तौड़गढ़
प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री [illegible] प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री तहसीलदार0 बेगूं
पैरोकार राज.सरकार

निर्णय :- 20.08.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वाद पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम बाघपुरा पटवार हल्का बाघपुरा तह0 बेगूं में वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि स्थित है, जिसके खाता संख्या 111 आराजी संख्या 443/396 रकबा 1.1820 हैक्टर भूमि स्थित है, इस भूमि के मूल नम्बर 443/396/1 थे वर्तमान में 443/396 है जो संशोधित नम्बर है।

यह कि उक्त वर्णित भूमि वादी रतनलाल पिता लखमा एवं इसके पिता लखमा पिता भूरा जी निवासी बाघपुरा के नाम पर आदेश कनवर्सन संख्या 99 सन 1977 से जरिये नामान्तरण संख्या 60 ग्राम बाघपुरा से गैर खातेदारी में अंकित हुई है लेकिन नामान्तरण को भरते समय तत्कालीन पटवारी हल्का की गलती से कॉलम संख्या 11 में श्री लखमा, भूरा, रतना भील साकिन बाघपुरा लिखा गया है जबकि वास्तव में कॉलम संख्या 11 में लखमा पिता भूरा, रतन पिता लखमा भील सा0 बाघपुरा लिखा जाना चाहिए था।

यह कि पटवारी हल्का की इस गलती के कारण अभी भी ग्राम बाघपुरा के खाता में काश्तकार का नाम / पिता का नाम की जगह श्री लखमा, भूरा, रतना भील सा0देह खातेदार चला आ रहा है क्यों कि वादी को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। यह कि पटवारी हल्का द्वारा तत्समय की गई उक्त वर्णित गलती के दुरूस्तीकरण के लिए प्रार्थी ने कितनी ही बार पटवारी हल्का को कहा, परन्तु कोई समाधान नहीं हो सकता है।

यह कि वादी के पिता लखमा पिता भुरालाल का देहान्त हो चुका है इसलिए वाद वर्णित आराजीयात केवल वादी रतनलाल पिता लखमा भील के नाम पर ही अंकित की जाना चाहिए लेकिन खाते में नाम व वल्दियत की कमी व त्रुटि के कारण वादी का नाम अंकित नहीं हो पा रहा है इस कारण वादी द्वारा यह वादपत्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता हुई है। वादी के नाम पर अंकित ग्राम बाघपुरा में अन्य भूमि आराजी संख्या 456/396 रकबा 0.8090 हैक्टर और दर्ज है जो वादी के नाम व वल्दियत के लिए साक्ष्य व सबूत में प्रस्तुत है तथा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी साक्ष्य में प्रस्तुत है।

यह कि वादी ने दिनांक 13.11.2017 को प्रतिवादीगण को धारा 80 सी.पी.सी0 के तहत एक पंजीकृत सूचनापत्र प्रेषित किया है उसके उपरान्त भी वादी को कोई राहत प्राप्त नहीं होने से वादी के पक्ष में वाद कारण दिनांक 13.11.2017 से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वाद पत्र घोषणा एवं त्रुटि दुरूस्तीकरण का होने से एव कानून में कोई म्याद निर्धारित नही होने से वादपत्र अन्दर अवधि मे पेश है। भूमि न्यायालय आपके क्षैत्राधिकार की होने से वादपत्र का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय आप को प्राप्त है।

15

अतः वादी न्यायालय श्रीमान आप से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि :—

1— कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावे कि ग्राम बाघपुरा में स्थित आराजी संख्या 443/396 रकबा 1.1820 हैक्टर भूमि का वादी खातेदार है तथा वादी रतना पिता लखमा भील के नाम पर भूमि की घोषणा की जाकर खाते में नाम अंकित किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

2— कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो वह भी प्रदान किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

दावा पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार बेगूँ पैरोकार सरकार उपस्थित आए तथा इस वादपत्र का जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है वाद पत्र की चरण में वादी श्री रतनलाल पिता लखमा व लखमा पिता भूरा निवासी बाघपुरा के नाम पर कन्वर्सन संख्या 99 सन 1977 जरिये नामा0सं0 60 से गैर खातेदारी हक से दर्ज होना दर्शाया गया। परन्तु आवंटन आदेश की प्रति साथ संलग्न नहीं है। वादी द्वारा दुरूस्तीकरण हेतु सम्बन्धित पटवार हल्का को अवगत कराने का उल्लेख किया गया। परन्तु पत्रावली में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

वादी के पिता लखमा पिता भूरा की मृत्यु होना दर्शाया गया। परन्तु जमावंदी की वर्तमान नकल की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा पत्र निरस्त करवाना फरमावें।

पत्रावली में जवाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात निम्न तनकी पत्र पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया :—

1— आया कि वादी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है कि ग्राम बाघपुरा में स्थित आराजी संख्या 443/396 रकबा 1.1820 हैक्टर भूमि का वादी खातेदार है तथा वादी रतना पिता लखमा भील के नाम पर भूमि की घोषणा की जाकर खाते में नाम अंकित किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें ?

वादी

2— आया कि वादी श्री रतनलाल पिता लखमा व लखमा पिता भूरा निवासी बाघपुरा के नाम पर कन्वर्सन संख्या 99 सन 1977 जरिये नामान्तरण संख्या 60 गैरखातेदार हक से दर्ज होना दर्शाया गया, परन्तु आवंटन आदेश की प्रति साथ संलग्न नहीं है, पत्रावली में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है, वादी के पिता लखमा पिता भूरा की मृत्यु होना दर्शाया गया है किन्तु जमावन्दी की वर्तमान नकल पत्रावली में उपलब्ध नहीं कराई गई है। रिकोर्ड के अभाव मे वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है?

प्रतिवादी पैरोकार सरकार

3— दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादी द्वारा वादी साक्ष्य में वादी रतनलाल पिता लखमा भील का साक्ष्य शपथ पत्र एवं गवाह प्रभुलाल पिता नन्दा गुर्जर के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, वादी रतनलाल ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र पर वक्त मुख्य परीक्षण सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया तथा जिरह में भूमि वादी के पिता के नाम पर अलोट होना व कब्जा भूमि पर वादी का होना जाहिर किया तथा पिता की मृत्यु हुए लगभग 20—25 साल का समय होना वताया है तथा बताया कि मै सबसे बडा भाई होकर मेरा उस जमीन पर आवंटन से पूर्व भी कब्जा होने से मुझे व मेरे पिता को संयुक्त रूप से आवंटन की गयी। गवाह प्रभुलाल ने भी अपनी जिरह करते हुए वादी एवं गवाह ने अपने बयानो को कलमबद्ध करा वादी की साक्ष्य पूर्ण की। पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त वादपत्र पर बहस उभयपक्ष की

पूर्वक सुनी गई। तथा पत्रावली में वादी द्वारा रखी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:— प्रदर्श— 1 नकल जमाबंदी मौजा बाघपुरा पटवार हल्का बाघपुरा की सं0 2070 से 2073 की प्रस्तुत की है जिसमें वर्णित आराजी संख्या 443/396 रकबा 1.1820 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री लखमा भूरा रतना भील सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है।

प्रदर्श—2 नकल जमाबंदी मौजा बागपुरा सं0 2033 से 2035 तक की पेश की है, इस जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि इन्तकाल नं0 59 दिनांक 22.03.1978 से आराजी नं0 396/1/439 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा श्री सोराम पिता चेना भील सा. बागपुरा के नाम गै.खा. हक से दर्ज करने की स्वीकृती हुई है।

प्रदर्श—3 नकल नामान्तरण संख्या 60 की पेश की है, इस इन्तकाल को आदेश कनवर्सन संख्या 99/77 से दर्ज किये जाने का आदेश का होने से विलानाम सरकार भूमि आराजी संख्या 396/1/443 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि श्री लखमा भूरा रतना भील साकिन बागपुरा के नाम पर दर्ज करने की स्वीकृती हुई है। प्रदर्श— 4 नकल जमाबंदी मौजा बागपुरा की सं0 2070 से 2073 तक की प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 456/396 रकबा 0.8090 हैक्टर भूमित के खातेदार श्री रतनलाल पिता लखमा जाति भील सा.देह के नाम पर दर्ज अंकित है। प्रदर्श—5 प्रार्थी वादी द्वारा राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय जी प्रतिनिधी राजस्थान सरकार को दिये गये धारा 80 व्य.प्र. संहिता के नोटिस की प्रति प्रस्तुत की है। जिसके भेजने व प्राप्ती की रसीद प्रदर्श—6 से लगायत प्रदर्श—9 तक पत्रावली मे प्रस्तुत की हैं।

प्रदर्श— 10 कार्यालय ग्राम पंचायत डोराई द्वारा जारी प्रमाण पत्र है जिसमें प्रमाणित किया है कि श्री रतना पिता लखमा भील उम्र 60 वर्ष निवासी बाघपुरा ग्राम पंचायत डोराई का है, प्रार्थी रतना के राजस्व रेकार्ड में श्री लखमा भूरा रतना भील है जो कमशः भाई होना दर्शाता है जो गलत है इसका संशोधन करने के लिए प्रार्थी को उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता है इनका सम्बन्ध निम्न प्रकार से है। पुत्र रतना पिता लखमा उम्र 60 वर्ष , लखमा पिता भूरा मृत, है। प्रार्थी रतना जीवित है इस प्रकसार रतना पिता लखमा एवं लखमा पिता भूरा का परिवार ग्राम बाधपुरा का है। अतः आज दिनांक 7.11.2017 को यह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डोराई द्वारा जारी किया जाता है। प्रदर्श—11 भारत निर्वाचन आयोग का कार्ड है जो रतना पिता लखमा निवासी बागपुरा के नाम से जारी है। प्रदर्श—12 प्रार्थी वादी रतना भील पिता लखमा भील के नाम से जारी आधार कार्ड की प्रति है। परिवार का राशनकार्ड प्रदर्श—13 है जिसमें रतनलाल भील व चन्नीबाई का नामदर्ज है। एवं प्रदर्श—14 कन्वर्सन सूची की सत्याप्रति नकल है, जिसमें लखमा /भूरा, रतना /लखमा भील बागपुरा का नाम अंकित हैं।

इस प्रकार सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर पाया कि वादी वर्णित आराजी में अपना नाम सही करा घोषणा करा पाने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा बाघपुरा प0ह0 बाघपुरा की आराजी संख्या 443/396 रकबा 1.1820 हैक्टर भूमि का वादी रतना पिता लखमा भील निवासी बाघपुरा को खातेदार घोषित किया जाने की घोषणा की जाती है। वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की अंतिम डिक्री जारी की जाकर डिक्री की पालनार्थ प्रति तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ
जिला चितौडगढ़

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

वाद संख्या :– 09/2018

रतनलाल पिता लखमा जाति भील निवासी बाघपुरा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1– श्री राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय जी चित्तौडगढ़
2– श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री पैरोकार सरकार तहसीलदार, बेगूँ की उपस्थिती में वाद अ.धा .88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 20.08.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादीगण का वादपत्र सिद्ध होने से स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा बाघपुरा प0ह0 बाघपुरा की आराजी संख्या 443/396 रकबा 1.1820 हैक्टर भूमि का वादी रतना पिता लखमा भील निवासी बाघपुरा को खातेदार घोषित किया जाने की घोषणा की जाती है। वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की अंतिम डिक्री जारी की जाकर डिक्री की पालनार्थ प्रति तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2024/425 दिनांक :– 21.08.2024

दावा संख्या 09/2018 व अनवान रतनलाल बनाम राज0 सरकार अ.धा. 88आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़